



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082020-221075
CG-DL-E-11082020-221075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 396]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SHRAVANA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

सं. 23/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 501(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित “फ्लैक्स फैब्रिक्स” जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 53 के अंतर्गत आता है पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अगस्त, 2015 जिसे सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिसूचना संख्या 7/26/2019-डीजीटीआर, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019, जिसे दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा(5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को तीन महीने की और अवधि तक आगे भी जारी रखने का अनुरोध किया था ;

अतः अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 12 अगस्त, 2015, जिसे सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा;—

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 11 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है तो, लागू रहेगी।”।

[फा. सं. 354/62/2009—टीआरयू (पार्ट-II)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

No. 23/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 501(E).—Whereas, the designated authority vide notification No. 7/26/2019-DGTR dated 23rd December, 2019, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd December, 2019, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on “Flax fabrics”, falling under Chapter 53 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the People’s Republic of China and Hong Kong, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2015-Customs (ADD) dated 12th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 624(E), dated the 12th August, 2015 and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of three months, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2015-Customs (ADD) dated 12th August, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 624(E), dated the 12th August, 2015, namely:—

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 11th November, 2020, unless revoked earlier.”.

[F. No. 354/62/2009 –TRU (Pt.-II)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.